FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत –उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नावां जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान

भंवर कंवर पुत्री गणेशदान जाति चारण सा. घाटवा तह. कुचामन सिटी **बनाम** गोपालराम पुत्र लिछमणराम जाति जांगीड वगै. सा. घाटवा तह. कुचामन सिटी

किस्म मुकदमां : 212 आरटीए

मुकदमा नम्बर ~~[illegible]~~ 035/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
31.01.2024	प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सेवर ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन आदेश की पालना अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के हक में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण जवाब पेश करने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि राजस्व ग्राम घाटवा के खसरा नम्बर 1089/301, 1091/494, 1093/495, 496, 497, 498 कुल रकबा 7.8967 हैक्टर भूमि में प्रार्थीया के हक हिस्से में अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे व किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण व सीव माठ के साथ छेडछाड नहीं करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें। रास्ते/प्रचलित रास्ते के प्रावधान में यह अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। इस आशय की अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो। उपतहसीलदार चितावा को उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा की पालना करवाने हेतु तहरीर जारी हो। इस बाबत अप्रार्थीगण को आपत्ति हो तो नियत तिथि को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करें। अप्रार्थीगण को जरिये पंजीकृत डाक नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 11.03.2024 को पेश हो। (signature) (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी, नावां	
5/2/24	पत्रावली प्रार्थीया द्वारा प्रा०पत्र प्रस्तुत करने पर आज पेश हुई। प्रार्थीया ने प्रा०पत्र पत्रावली तलब कर जरिये विड्रोल खारिज फरमाने पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रा०पत्र में उभयपक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है इसलिए जरिये विड्रोल खारिज किया जावें। अतः प्रार्थीया का [illegible] प्रार्थीया के निवेदन पर जरिये [illegible] खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो व [illegible] (signature) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.06 11:06:24 IST
Reason: SelfAttested